

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

पंचायती राज विभाग

देहरादून

दिनांक 23 नवम्बर, 2010

विषय:- प्रदेश की क्षेत्र पंचायतों को राज्य सरकार के स्रोतों से प्राप्त होने वाले धन के वितरण और व्यय के संबंध में विचार किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-489/xii/05/86(10)/2005, दिनांक 13 जून, 2005 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत प्रदेश के विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु प्रति वर्ष रु. 25 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत के लिये "क्षेत्र पंचायत निधि" का प्राविधान किया गया है। जिसे प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर की जा रही वृद्धि की माँग के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त रु. 5 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत प्रदेश के विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु अब प्रति वर्ष रु. 30 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत के लिये "क्षेत्र पंचायत निधि" का प्राविधान किया गया है।

3- उक्त धनराशि में से रूपये 5.00 लाख की योजनाओं की संस्तुति क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष स्तर (प्रमुख) से पंचायतों की योजनाओं पर व्यय की जायेगी।

4- शासनादेश संख्या-489/xii/05/86(10)/2005, दिनांक 13 जून, 2005 में निहित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय

Anurag
(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या 895^u/XII/10/86(10)/2005टी.सी-।। तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
- 3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
- 5 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून ।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून ।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी/समस्त खंड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
8. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के आवलोकनार्थ ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन ।
- 12 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून ।
13. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सी०एम०एस०बिष्ट)
अपर सचिव ।

Grand file

श्री जेता

रु. 50 रु.
रु. 50 रु.
रु. 50 रु.

संख्या 895/A.A.10

38
13/12/10*[Signature]*विहार
23/11/10